उत्तर प्रदेश् शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-7/46/62-2-2015-842/86टी0सी0ए0
लखनऊ : दिनांक: 06 जनवरी,2015

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 06-06-2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में श्री प्रतीक रंजन चौरसिया की मुख्य अभियंता के पद पर तैनाती, मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत की गयी है। तत्क्रम में तत्कालीन प्रमुख सचिव डा0 सूर्य प्रताप सिंह के हस्ताक्षर से विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश सं0-1609/62-2-2014-842/86टी0सी0ए0, दिनांक 27 जून,2014 द्वारा श्री प्रतीक रंजन चौरसिया को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत करते हुए नियमित रूप से नियुक्त किए जाने के आदेश जारी किए गए है।

2- डा0 सूर्य प्रताप सिंह द्वारा स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात स्थानान्तरण के दिन ही पूर्व में जारी विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश दिनांक 27 जून,2014 को, बिना सक्षम स्तर के अनुमोदन के आदेश संख्या-3837/62-2-2014-842/86टी0सी0ए0, दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 द्वारा स्थगित कर दिया गया है। अत: आदेश संख्या-3837/62-2-2014-842/86टी0सी0ए0, दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 को निरस्त किया जाता है।

3- श्री प्रतीक रंजन चौरसिया को मुख्य अभिंयता के पद पर पदोन्नति, प्रदान किये जाने से संबंधित आदेश सं0-1609/62-2-2014-842/86टी0सी0ए0, दिनांक 27 जून,2014 से रिट याचिका सं0-985(एस0बी0)/2013 गोविन्द चन्द्र गुप्ता बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-12-2013 के क्रम में मा0 न्यायालय को अवगत कराते हुए अग्रतर आदेश प्राप्त कर लिये जाये।

ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख् सचिव।

सं0:-46(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को अर्द्ध शा0 प0 सं0-22(19)/2014 का-1-2014, दिनांक 23-06-2014 के संदर्भ में।
5- निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, लखनऊ को उपर्युक्त विज्ञप्ति को आगामी राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु।
6- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अधीक्षण/अधिशासी/सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश।
9- अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त लखनऊ।
10- श्री प्रतीक रंजन चौरसिया, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।